


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

यूको बैंक बनाम मैसर्स डिजीटल ड्रीम्स

प्रकरण संख्या 364/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
22.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से धारा 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं ऋणी को प्रेषित 13(2) के नोटिस में बंधक संपत्ति का क्षेत्रफल भिन्न अंकित किया गया है।</p> <p>अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक संशोधित 13(2) के नोटिस की कार्यवाही पश्चात् नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। धारा 14 सरफेशी अधिनियम-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	